न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोड्डा।

बन्दोवस्ती रद्द वाद सं0:–07/2018–19

अंचल अधिकारी, गोड्डा सदर

बनाम्

श्री बड़का हाँसदा

तिथि	पदाधिकारी का आदेश	मंतव्य
30.1.19	**आदेश** अभिलेख उपस्थापित। अंचलाधिकारी, गोड्डा सदर के पत्रांक–94/रा0, दिनांक–11.01.2019 के द्वारा बन्दोवस्ती रद्द केश सं0–15/2018–19 प्राप्त। अंचल अधिकारी, गोड्डा सदर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–दलदली, थाना नं0– 495 के गैरमजरूआ खाता सं0–102 के अन्दर दाग सं0– 1652, कुल खतियानी रकवा–04–16–19 धुर किस्म–परती कदीम के अन्दर अंश रकवा– 02–08–10 धुर भूमि बड़का हाँसदा वगै0, पिता– स्व0 चन्द्रराय हाँसदा, साकिन– दलदली के साथ ग्राम प्रधान द्वारा निर्गत बन्दोवस्ती पट्टा को अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, गोड्डा के वन्दोवस्ती वाद सं0– 279/76–77 के तहत स्वीकृत किया गया है। उक्त जमीन पर वन्दोवस्तदार रैयत/वंशज का दखल कब्जा या जोत–कोड़ नहीं है। उक्त दाग नं0 के अंश रकवा में खाली भूमि पर राजस्व कचहरी–सह–आवास भवन निर्माण प्रस्तावित है। अंचल अधिकारी, गोड्डा सदर द्वारा अभिलेख खोलकर विधिवत नोटिश निर्गत कर बन्दोवस्तधारी को पक्ष रखने का अवसर दिया गया। अंचल अधिकारी, गोड्डा सदर द्वारा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा– 33 के तहत मौजा–दलदली, थाना नं0– 495, गैरमजरूआ खाता सं0– 102 के अन्दर दाग नं0–1652 अंश रकवा–02–08–10 धुर जमीन किस्म– परती कदीम की वन्दोवस्ती को रद्द करने की अनुशंसा किया गया है। संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा– 33 अन्तर्गत गैरमजरूआ परती कदीम की बन्दोवस्त भूमि अगर उक्त भूमि पर वन्दोवस्तदार द्वारा पाँच वर्ष के अन्तर्गत जोत आबाद/दखल कब्जा नहीं हो, तो उक्त बन्दोवस्ती भूमि की बन्दोवस्ती उपायुक्त द्वारा रद्द किया जा सकता है। बिहार सरकार, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिसूचना ज्ञापांक–2248/रा0, दिनांक–28.07.1989 के द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता को संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–57 छोड़कर अन्य धाराएँ के अन्तर्गत उपायुक्त की शक्तियाँ प्राप्त है। अंचल अधिकारी, गोड्डा सदर के अनुशंसा के आलोक में उपायुक्त की शक्तियाँ का प्रयोग करते हुए वन्दोवस्ती वाद सं0– 279/76–77 के अन्तर्गत की गई किसी भी बन्दोवस्ती को संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा– 33 के तहत रद्द किया जाता है। अंचल अधिकारी, गोड्डा सदर तद्नुसार आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। लेखापित एवं संशोधित। (हस्ताक्षर) 30.1.19 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोड्डा। (हस्ताक्षर) 30.1.19 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोड्डा।	